

(i) **ब्रिटिश क्लासिकल अर्थशास्त्री**—अन्य क्लासिकल लेखकों से भिन्न, एडम स्मिथ ने लोक वित्त की विवेचना करते समय अपने विश्लेषण को कर के दोषों को न्यूनतम रखने तक ही सीमित नहीं रखा। वस्तुतः इन्होंने कर की अपेक्षा लोक व्यय पर अधिक पन्ने लिखे। स्मिथ ने बताया कि सरकार के तीन कर्तव्य हैं, यथा, (1) प्रतिरक्षा—बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा; (2) आन्तरिक कानूनी व्यवस्था; तथा (3) वैसी लोक संस्थाओं का प्रबन्ध तथा जैसे सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था जो समाज के लिए अत्यधिक हितकर हैं, किन्तु यदि व्यक्ति द्वारा उन्हें प्रदान किया जाय तो इतने लाभ नहीं मिलेंगे कि लागत को वसूल किया जा सके और इसीलिए व्यक्ति उन्हें प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होंगे।² इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एडम स्मिथ इस तथ्य से अवगत थे कि कुछ क्षेत्रों में बाजार यन्त्र कारगर नहीं होता, अतः सरकार को इन क्षेत्रों में खुद सेवाएं प्रदान करने की जरूरत है। लेकिन स्मिथ सामाजिक वस्तुओं की प्रकृति की छानबीन नहीं कर सके।

लोक व्यय के विश्लेषण के सम्बन्ध में डेविड रिकार्डो निराश ही करते हैं। जे. वी. से के स्वर्णिम नियम कि “लोक वित्त की सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जिसमें सरकारी व्यय न्यूनतम हो तथा सर्वोत्तम कर प्रणाली वह है जिसका भार न्यूनतम होता है” के आगे वे कुछ भी नहीं कह सके।

लेकिन जे. एस. मिल ने लोक वित्त को पृथक् नजर से देखा क्योंकि उन पर फुरियर (Fourier), ओवेन (Owen) तथा सिसमांडी (Sismondi) जैसे समाजवादियों का प्रभाव था। एडम स्मिथ की तरह उन्होंने भी स्वीकार किया कि हस्तक्षेप नहीं करने की नीति (Policy of Non-intervention, i.e., *Laissez-faire*) सामान्य नीति होनी चाहिए। फिर भी कुछ क्षेत्रों में हस्तक्षेप की जरूरत है। उन्होंने निम्न तीन परिस्थितियों में हस्तक्षेप की बात कही :

- (क) कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनकी उपयोगिता को समझने में व्यक्ति असमर्थ रहता है, जैसे बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा का महत्व।
- (ख) सभी पहलुओं को ठीक तरह से नहीं समझने के कारण व्यक्ति ऐसे करार कर सकते हैं जिनसे उन्हें रोकने की जरूरत है, जैसे बन्धुआ मजदूरों द्वारा किया गया करार।
- (ग) वहां भी नियन्त्रण की जरूरत है जहां लोग निर्णय लेने का अधिकार प्रबन्धकों पर सौंप देते हैं, किन्तु इन प्रबन्धकों के हित अन्य लोगों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रतिरक्षा, कानून-व्यवस्था, आदि के अतिरिक्त उपर्युक्त क्षेत्रों में सरकारी नियमन की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह की विवेचना के बावजूद भी यही कहा जायगा कि मिल ने समानता पर आधारित कर

संरचना पर ही विशेष ध्यान दिया तथा लोक व्यय के विश्लेषण पर नहीं के बराबर ही। अतः मसग्रेव का कहना है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वस्तु की आर्थिक प्रकृति की जांच नहीं की।¹

यहां यह बताना जरूरी है कि करारोपण में समानता के सिद्धान्त को काफी महत्व शुरू से ही मिला हुआ है। समानता की व्याख्या लाभ के सिद्धान्त (Benefit theory) के साथ-साथ करदान योग्यता के सिद्धान्त (Ability-to-pay theory) के रूप में भी हुई है। (विशेष जानकारी के लिए अध्याय 11 को देखें।) लाभ के सिद्धान्त के रूप में समानता की विवेचना करते समय कर को लोक व्यय के साथ जोड़ना ही पड़ता है। इसके बावजूद क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने सरकार की भूमिका को न्यूनतम बताते हुए केवल इस बात की जांच की कि एक दिये हुए बजट की लागत का वितरण किस प्रकार करदाताओं को लोक व्यय से मिलने वाले लाभ के रूप में किया जाय। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सामाजिक करार के सिद्धान्त (Social contract theory) को प्रतिपादित किया तथा बताया कि राज्य के बनने के पीछे उद्देश्य यही है कि यह लोगों को संरक्षण (Protection) प्रदान करेगा। मिल ने देखा कि चूंकि धनियों की अपेक्षा निर्धनों को ही राज्य के संरक्षण की अधिक आवश्यकता है, अतः कर प्रणाली प्रतिगामी (regressive) हो जायगी। यह समानता के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अतः उसने लाभ के सिद्धान्त को त्याग दिया। करदान योग्यता के सिद्धान्त के प्रतिपादकों ने लोक व्यय की पूर्णतः अपेक्षा कर दी। कर के बोझ के समान वितरण के सिलसिले में इस पक्ष पर ध्यान ही नहीं दिया कि कर से प्राप्त राजस्व को सरकार किस प्रकार खर्च करती है।

एडम स्मिथ से लेकर मिल तक के अंग्रेज क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के लोक व्यय के सम्बन्ध में विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि वे इस तथ्य से भिन्न थे कि कुछ वस्तुओं का प्रावधान सरकार द्वारा होना चाहिए क्योंकि बाजार यन्त्र का उपयोग उन क्षेत्रों में सम्भव नहीं है। फिर भी उन्होंने बाजार यन्त्र को प्रमुखता प्रदान की तथा सरकारी कार्यों की कुशलहीनता पर बल दिया। (अन्य अंग्रेज अर्थशास्त्री पीगू की चर्चा आगे की गयी है।)